

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत... महापत्र कुलकर्णी एवं स.ज.०. मुकाम... वायड

... भाराम बनाम विक्रानाराम कोरा

किस्म मुकदमा... वा.श.वे. 111,120 RCR/फ.नं. 136/10 सन्... 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 16/04/18 | <p>प्राथी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>युनायाम एडवो</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,120 RCR/फ.नं.</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू सजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रैस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14.5.18</u> को पेश हो।</p> | |
| 14/05/18 | <p>पत्रावली आज न्याय सत्र पर डार</p> <p>समिधान 2018 डेम्प डेटे गाम पंचायत</p> <p>जाखडा के रखी गई, प्राथी व वकील उपस्थित।</p> <p>प्राथी के अधिवक्ता श्री एडवोकेट वरम</p> <p>दुनी गई प्राथी के अधिवक्ता ने बताया कि</p> <p>प्राथी को अपने प्वालेगी खेतों के चारों ओर</p> <p>पन्डे नेष्म स्थापित करवाना आवश्यक है।</p> <p>इसलिए प्राथी का नेष्मबन्दी क्रोडन स्वीकार</p> <p>क्रिया जाडर नेष्मबन्दी क्रोडन क्रिया जावे।</p> <p>अतः प्राथी का नेष्मबन्दी क्रोडन</p> <p>स्वीकार क्रिया जाडर लखनौलाड गिमा डे डमिडान</p> <p>निधुन्त क्रिया जाला है व क्रोडन क्रिया जाला है।</p> <p>कि क्राम स्वयं या अपने अधिनस्थ विसी भी डू</p> <p>समिलेय निरिस्त ले प्राथी के प्वालेगी खेतों के चारों</p> <p>नेष्मबन्दी मोडे पर डमिडान क्रिया जमाडाडर डेने</p> <p>पत्रों डे नोटिस जारी डर डरे, पालना रिपोर्ट उपल</p> <p>दाने पर शामिल पत्रावली डे, पत्रावली फेसल सुमाए</p> | |

दज नम्बर 1134 डे, दाखिल डफल डे।



**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, जाखड़ा)**

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 190
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 14/05/2018
विप्रार्थीगण

1. श्री भारूराम पुत्र खेताराम वगैरा 4
जातियान् जाट निवासीयान् जाखड़ा
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. श्री किशनाराम पुत्र बगसाराम वगैरा 24
निवासीयान् जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 136/18

आदेश

मौजा जाखड़ा पटवार हल्का जाखड़ा के खेत खसरा नम्बर 365/64, 367/77, 368/115, 370/116 रकबा कमशः 23.19, 31.14, 00.04, 62.04 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के चारो तरफ सेढा पडौसीयो को नोटिस देने के बाद, प्रार्थीगण से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेताराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 14 /05/2018

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 191-95
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री भारूराम पुत्र खेताराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र बगसाराम वगैरा 31।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु